उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या- 39/2017/1716/41-2017-26 सा0/2017

लखनऊः दिनांक- 24 अगस्त, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड अधिनियम, 2015 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5 सन् 2015) की धारा-3 एवं उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1659/41-2017-26 सा0/2017, दिनांक 24 अगस्त, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्री शैलजाकान्त मिश्र, सेवानिवृत्त, भारतीय पुलिस सेवा (आई0पी0एस0) को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद में उपाध्यक्ष के पद पर नामित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद में नामित उपाध्यक्ष को शासनादेश सं0 1659/41-2017-26 सा0/2017 दिनांक 24 अगस्त, 2017 में उल्लिखित सुविधाएं/वेतन-भत्ते आदि अनुमन्य होंगे।

अवनीश कुमार अवस्थी,
प्रमुख सचिव।

संख्या- 39/2017/1716 (1)/41-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. श्री शैलजाकान्त मिश्र, निवास-1087, साऊथ सिविल लाईन्स, पचपेड़ी, जबलपुर, मध्यप्रदेश, 482001।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सदस्यगण एवं सदस्य सचिव।
6. प्रमुख सचिव, गृह विभाग।
7. प्रमुख सचिव/सचिव राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, पर्यटन, उ0प्र0 शासन/महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।
11. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम, लि0, लखनऊ।
13. मण्डलायुक्त, आगरा/जिलाधिकारी आगरा/जिलाधिकारी मथुरा।
14. उपाध्यक्ष मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
15 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
16. आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in